राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7]　तेरहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पहला दिवस　[संख्या : 1

मंगलवार,

23 अगस्त, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

अनुपस्थिति अनुमति

भंवरू खान, श्री, सदस्य को 23 अगस्त, 2011 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री भंवरू खान...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट, इसको पूरा कर लेने दीजिए। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री भंवरू खान, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 23 अगस्त, 2011 से सत्रांत तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही जरूरी बात सदन के सामने रखना चाहूंगी। पूरा देश इस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध जल रहा है। सब लोग, जनता सड़क पर आ गई है। चाहे वे बच्चे हों, चाहे बूढे हों, चाहे महिला हों, चाहे बुजुर्ग हों सब लोग सड़क पर आकर इसकी चिंता जता रहे हैं और सबकी तमन्ना यह है कि इस भ्रष्टाचार का खात्मा हो। आज समाज सेवी नेता अन्ना हजारे के आमरण अनशन का 8वां दिन हो गया है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। यह समझ में नहीं आता कि आगे चलकर अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है...

श्री अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी की बैठक के बाद अपन निर्णय कर लेंगे कि किन पर चर्चा करनी है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): तो मैं यह समझती हूं कि देश के अन्दर भी और हमारे राजस्थान के अन्दर भी मुसीबत हो सकती है। केन्द्र सरकार उनसे और उनके सहयोगियों से चर्चा करने को तैयार नहीं है जबकि आई बी ने यह रिपोर्ट दी है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब जनता सड़क पर आकर 'करो या मरो' के लिये तैयार हो रही है और सत्ता में बैठे हुए लोग उसकी तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में आज सब निर्णय करेंगे, उसके बाद आप जो विषय उठाना चाहें वह उठायें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए मैं यह समझती हूं कि राजस्थान विधान सभा का आज यह पहला दिन है, मानसून सत्र का यह पहला दिन है, मेरा सबकी ओर से यह सुझाव है, हमारी पार्टी की ओर से यह सुझाव है कि इस करप्शन के इश्यू के ऊपर जोरदार बहस हो। यह सबके सामने आ जाये, राजस्थान की जनता के सामने आ जाये...

श्री अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी की आज बैठक है, उसमें आप जो निर्णय करेंगे उसके अनुरूप आपको समय दिया जायेगा। कृपया विराजें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): आप लोगों ने अपने बजट सत्र के अन्दर यह घोषणा की थी कि गारंटी डिलिवरी आफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट को भी हम सबके सामने लायेंगे, आज तक वह बात नहीं हुई है और मेरा सुझाव है कि करप्शन के इश्यू के ऊपर...

श्री अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में आज आप बैठेंगे, वहां तय कर लें कि किस-किस इश्यू पर चर्चा करनी है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): और गारंटी डिलिवरी आफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट के ऊपर पूरी तरह से यहां चर्चा हो और इसी सत्र के अन्दर चर्चा हो, यही मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी और पूरे विपक्ष की ओर से आप सब लोगों के सामने यहां रखना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: सचिव ।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011
2. राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011
3. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011
4. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011
5. राजस्थान वित्त विधेयक, 2011
6. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011
7. रेफल्स विश्वविद्यालय नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011
8. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011
9. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011
10. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011
11. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011

(श्री सचिव)

12. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

13. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

14. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011

15. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो सुझाव दिया...

श्री अध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिया है कि देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार पर इस सदन में बहस हो, आज पूरा देश चिंतित है, अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हैं, पूरा हिन्दुस्तान सड़क पर है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिये, सरकार का क्या मंतव्य है। क्या सरकार भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप कौन से नियमों में बोल रहे हैं? कम से कम नियमों का तो ध्यान रखें। (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्यांक-02) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय है जिस पर पूरा हिन्दुस्तान जल रहा है।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नलिखित 7 अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:-

(डा. जितेन्द्र सिंह)

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011

1- आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-03) ;

महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011

2- महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-04) ;

जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011

3- जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-05) ;

मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011

4- मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-06) ;

प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011

5- प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-07) ;

सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अध्यादेश, 2011

6- सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-08) ; एवं

मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) (संशोधन) अध्यादेश, 2011

7- मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-09) ;

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर)ः ...(व्यवधान) सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार को कम से कम बताना चाहिये कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सदन में बहस करना चाहती है या नहीं करना चाहती।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में भ्रष्टाचार से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। इस पर बहस का समय तय करायें। (व्यवधान) विधान सभा में इस पर खुली बहस होनी चाहिये। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पूरा हिन्दुस्तान जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री शांती कुमार धारीवाल।

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पूरा देश इस आग में जले जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस पर अपना मंतव्य देना चाहिये, चर्चा के लिये हां करनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिये। राजस्थान की सरकार पारदर्शिता लाने के लिये क्या कदम उठा रही है?

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, पाइंट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश जारी करने के कारण बताये जाने चाहिये

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो भी विधेयक जारी किये गये हैं, मैंने कहा भी था कि इस सदन में कम से कम विधेयकों के प्रति तो हम सावधानी बरतें। अध्यादेश जारी करने के कुछ कारण होते हैं और अध्यादेश इमरजेंसी में जारी करने पड़ते हैं, जब विधान सभा सत्र नहीं होता है और उसके लिये बताना पड़ता है कि इस कारण से अध्यादेश जारी किया गया है। ये सारे अध्यादेश जो आज आप यहां रख रहे हैं, वे सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के अध्यादेश हैं जिनके लिये ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि जारी किये जायें और उनके कारण इनको बताने पड़ेंगे।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसके पहले ही सदन में जब यह बात उठ गई है कि सारा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त है और हम उस पर चर्चा चाहते हैं, आप इस पर व्यवस्था कीजिए। उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर सरकार चुप क्यों बैठी है? इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री जी।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हो गया ना पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो ना।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन विधेयक, 2011)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) जवाब देना पडेगा सरकार को। यह सदन है, आज सदन का पहला दिन है, सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाहती? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) उसका जवाब नहीं आया है। कारण तो बताओ, कारण।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 । एमादुद्दीन अहमद, दुरू मियां।

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आंदोलन चल रहा है ...(व्यवधान) इस आधार पर दरकिनार नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

एक माननीय सदस्य : हम यह चाहते हैं कि इस पर कम से कम वह अपनी राय ...(व्यवधान) आसन व्यवस्था दे इसके लिए। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

एक माननीय सदस्य: आसन से हम इस बात की व्यवस्था चाहते हैं...(व्यवधान)

बहिर्गमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम सरकार के विरुद्ध में वाकआउट करते हैं। सरकार भ्रष्टाचार पर कुछ करना नहीं चाहती, हम वाकआउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर। डा. जितेन्द्र सिंह।

जे. के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जे. के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जे. के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जे. के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत जे. के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-05) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011, डा. जितेन्द्र सिंह।

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-03) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 । डा. जितेन्द्र सिंह ।

प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, आज पहले दिन ही सब 'हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता' हो रहा है। बिजली नहीं है गांवों में...(व्यवधान) बिजली नहीं है और हां पक्ष जिता रहे हो। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-07) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 । डा. जितेन्द्र सिंह।

सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बिजली नहीं है, विश्वविद्यालय खोल रहे हो। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-08) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पैसे वालों का ही खोल रहे हो। (व्यवधान) मत्स्य विश्वविद्यालय गवर्नमेंट का क्या हुआ, मुख्य मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 । डा. जितेन्द्र सिंह ।

मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-06) एवं मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-09) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011, डा. जितेन्द्र सिंह। (व्यवधान)

महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कल जन्माष्टमी थी और एक मिनट के लिए पूरे गंगानगर जिले में बिजली नहीं आई। मैंने कई बार निवेदन किया है, यह अध्यादेश जरूरी नहीं है...(व्यवधान) किसानों के लिए और शहर के लोगों के लिए, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म ...(व्यवधान) और बिजली नहीं है, पूरे अंधकार ही अंधकार था ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: शेखावाटी यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? आप भी शेखावाटी के हैं। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, में प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-04) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): बीकानेर जिले में त्राहि त्राहि मच रही है। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): जोधपुर जिले के अन्दर घोर अन्धेरा है, रात को बिजली चली जाती है। जोधपुर जिले के अन्दर बिजली नहीं है, बिलकुल नहीं है। जोधपुर जिले के अन्दर गांवों के अन्दर बिजली नहीं है, सभी लोगों में त्राहि-त्राहि मचा रखी है। (व्यवधान) रोज रात को लाइट चली जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यादेश को निरस्त करने के लिए परिनियत संकल्प होते हैं, परिनियत के संकल्प के पहले आप सदन में बिल को पुर:स्थापित नहीं करा सकते । अध्यक्ष महोदय, हमारे इन सारे आर्डिनेंसेज पर परिनियत संकल्प के स्टेट्यूटरी मोशन दिये हुए हैं, स्टेट्यूटरी मोशन आपके पास आ गये, स्टेट्यूटरी मोशन आपके पास हमने दे दिये और पुर:स्थापित करने का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय नहीं हुआ, आप बिना परिनियत संकल्प पर कोई फैसला कराये सदन में बिल को पुर:स्थापित करा रहे हैं, तो पहले तो बहस परिनियत संकल्प पर होती है, तो वह परिनियत संकल्प तो कान्स्टीट्यूशनल मामला है। सदन आप जल्दी चलायें, एक दिन चलायें, दो दिन चलायें, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन इस प्रकार से अगर हम सारी मर्यादाओं को तोड़ देंगे तो आज तो कुछ नहीं, राज है लेकिन आने वाले समय में अपना नाम देखेंगे कि माननीय दीपेन्द्र सिंह जी अध्यक्ष की कुर्सी पर थे, हम यहां पर बैठे थे और सारे +++ कर दिये। यह देख लीजिए। बाकी तो आपकी मर्जी पर है, आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष: +++ एक्सपंज कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक्सपंज कर दें। पर है वही। एक्सपंज कर दें, काम वही है अपना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय ने जो अपनी बात कही है उसके विषय में मैं निवेदन करूंगा, विचारार्थ के समय में जब चर्चा हो तब आप सारी चर्चाएं उठाएं। अभी इस पर चर्चा करना मैं उपयुक्त नहीं समझता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं पुर:स्थापित करने को नहीं उठा रहा हूं, परिनियत संकल्प को पहले निरस्त करे बिना या स्वीकार करे बिना बिल पर जा नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति ।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल डा. पी.सी. एलेक्जेंडर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दोरजी खाण्डू, हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री भजनलाल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री दौलतराम सारण, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री तकीउद्दीन अहमद एवं श्री रामदेव सिंह, राजस्थान के पूर्व उप मंत्री श्री डूंगरराम पंवार तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री कालूलाल खटीक, श्री सुखलाल सैणचा, श्री सुनील कुमार विश्नोई, श्री डूंगाराम राजोरिया एवं श्रीमती उमा माथुर और महावीर चक्र से सम्मानित श्री भवानी सिंह तथा मथुरा-छपरा एक्सप्रेस एवं कालका रेल हादसे तथा मुम्बई बम विस्फोट में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पी.सी. एलेक्जेंडर, डा., पूर्व राज्यपाल

तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल डा. पी.सी. एलेक्जेंडर का जन्म 20 मार्च, 1921 को केरल के मावेलिकारा में हुआ। आपने एम.ए., एम.लिट., डी.लिट. व एलएल.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

डा. पी.सी. एलेक्जेंडर वर्ष 1988 से 1990 तक तमिलनाडु तथा जनवरी, 1993 से जुलाई, 2002 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। आप जुलाई, 2002 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप कार्मिक, जन अभियोग निराकरण तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय की समिति, विशेषाधिकार समिति, सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति तथा गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। डा. एलेक्जेंडर नवम्बर, 2002 से फरवरी, 2004 तक उद्योग मंत्रालय की स्थायी समिति के सभापति भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

वर्ष 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े डा. एलेक्जेंडर ने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित देश तथा विदेश में अनेक पदों पर कार्य किया। आप वर्ष 1975 से 1978 तक वाणिज्य मंत्रालय के सचिव, वर्ष 1981 से 1985 तक प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव तथा वर्ष 1985 से 1988 तक इंग्लैंड में उच्चायुक्त रहे। कुशल प्रशासक रहे डा. एलेक्जेंडर को नेशनल एमिनेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1999 का कांची परमाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया।

लेखन में रुचि रखने वाले डा. एलेक्जेंडर की 'द डच इन मालाबार', 'बुद्धिज्म इन केरल', 'इंडस्ट्रियल एस्टेट इन इंडिया', 'माई ईयर्स विद इन्दिरा गांधी', 'द पेरिल्स आफ डेमोक्रेसी', 'इंडिया इन द न्यू मिलेनियम' तथा 'थ्रू द कॉरिडोर्स आफ पावर' शीर्षक की पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आपके आलेख अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आप छात्र जीवन में भी अनेक संघों के विभिन्न पदों पर रहे। डा. एलेक्जेंडर अनेक खेल संगठनों से भी सम्बद्ध रहे।

डा. पी.सी. एलेक्जेंडर का दिनांक 10 अगस्त, 2011 को निधन हो गया।

भजनलाल, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री

हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर, 1930 को वर्तमान पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के कोरनवाली ग्राम में हुआ। आपने बहावलपुर के राजकीय कालेज से इंटरमीडियट तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री भजनलाल हरियाणा विधान सभा के पांच बार सदस्य रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1970 से 1975 तक कृषि विभाग तथा वर्ष 1978-79 में सहकारिता, डेयरी, पशुपालन, श्रम एवं रोजगार तथा वन विभाग के राज्य मंत्री रहे। श्री भजनलाल 1979 से 1986 तक तथा 1991 से 1996 तक दो बार हरियाणा के मुख्य मंत्री रहे। आप वर्ष 1986 से 1989 तक हरियाणा से राज्य सभा के सांसद भी रहे। श्री भजनलाल नौवीं, बारहवीं तथा वर्तमान पन्द्रहवीं लोक सभा में भी सांसद थे। कुशल प्रशासक रहे श्री भजनलाल केन्द्रीय सरकार में वर्ष 1986 से 1988 तक पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा 1988 से 1989 तक कृषि मंत्री रहे। आप योजना आयोग के सदस्य भी रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे तथा वर्तमान लोक सभा में आप कार्मिक, लोक अभियोजन, विधि एवं न्याय समिति के सदस्य थे।

श्री भजनलाल ने अपना सार्वजनिक जीवन आदमपुर ग्राम पंचायत के

(श्री अध्यक्ष)

पंच के रूप में शुरू किया तथा बाद में आप इसके सरपंच भी बने। आप जिला परिषद् हिसार के सदस्य भी रहे। अपने चार दशक से भी अधिक के राजनीतिक जीवन में आप कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहे। कांग्रेस पार्टी में कई पदों पर रहे श्री भजनलाल ने वर्ष 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस (भजनलाल) पार्टी की स्थापना की।

श्री भजनलाल का दिनांक 3 जून, 2011 को निधन हो गया।

दोरजी खाण्डू, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री

अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दोरजी खाण्डू का जन्म मार्च, 1955 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के ज्ञानगखार ग्राम में हुआ। आपने सैकंडरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री दोरजी खाण्डू 1990 में पहली अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए। इसके पश्चात् आप दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवीं अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे। श्री खाण्डू वर्ष 1995 से 2007 तक अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रीमण्डल में विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री रहे। आप 9 अप्रैल, 2007 को प्रथम बार तथा 25 अक्टूबर, 2009 को दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बनाये गये और मृत्यु पर्यन्त इस पद पर आसीन रहे। मुख्य मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान आप राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए समर्पित रहे।

श्री खाण्डू ने लगभग सात वर्ष तक भारतीय सेना में अपनी सेवायें दीं। आपकी उत्कृष्ट सैन्य सेवाओं के लिए आपको स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। वर्ष 1982 में आप अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक एवं सहकारी समिति के सभापति रहे। आप वर्ष 1983 में पश्चिमी कामेंग जिला परिषद् के निर्विरोध जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण के कार्यों से जुडे रहे श्री खाण्डू ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, बिजली एवं संचार व्यवस्थाओं के साथ-साथ स्कूल एवं अस्पतालों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में आपके नेतृत्व में गये सांस्कृतिक दल को रजत पदक प्राप्त हुआ।

श्री दोरजी खाण्डू का एक हेलिकोप्टर दुर्घटना में दिनांक 30 अप्रैल, 2011 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

दौलतराम सारण, श्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री दौलतराम सारण का जन्म 13 जनवरी, 1924 को चूरू जिले के ढाणी पांचेणा ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री दौलतराम सारण दूसरी, तीसरी एवं चौथी राजस्थान विधान सभा में डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप दूसरी एवं तीसरी विधान सभा में कांग्रेस तथा चौथी विधान सभा में निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। श्री सारण मई, 1957 से दिसम्बर, 1966 तक राजस्थान सरकार में कृषि, पंचायत, सहकारिता, सिंचाई, आयुर्वेद, स्वायत्त शासन, जन स्वास्थ्य एवं नगरीय विकास विभागों के उप मंत्री रहे। श्री सारण छठी, सातवीं एवं नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे। नौवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान 21 नवम्बर, 1990 को आपको भारत सरकार में शहरी विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आवास समिति एवं नियम समिति सहित अनेक परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

आप वर्ष 1946 से 1950 तक बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् की प्रतिनिधि सभा के मंत्री रहे। श्री सारण वर्ष 1957 में चूरू जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। समाज सेवी श्री सारण अपने जीवन के प्रारम्भ से ही समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे। आप सरदारशहर की प्रौढ़ शिक्षण समिति के मंत्री, गांधी विद्या मंदिर की कार्य समिति सहित अनेक शिक्षण संस्थाओं एवं पुस्तकालय की प्रबंध समितियों के सदस्य रहे।

श्री सारण चूरू जिला कांग्रेस के मंत्री एवं अध्यक्ष रहे। आप जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। पंचायती राज, सहकारिता तथा सामयिक विषयों पर आपके आलेख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए।

श्री दौलतराम सारण का दिनांक 2 जुलाई, 2011 को निधन हो गया।

तकीउद्दीन अहमद, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री तकीउद्दीन अहमद का जन्म 10 जुलाई, 1930 को जयपुर में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री तकीउद्दीन अहमद सातवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में जौहरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति तथा सभापति तालिका के सदस्य रहे। आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति व पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे। आपने राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के रूप में मई, 2002 से दिसम्बर, 2003 तक आबकारी, कर एवं वित्त विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया। इस दौरान आपके पास प्रशासनिक सुधार, आवासन, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं समाज कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा।

श्री तकीउद्दीन राज्य नियोजन सलाहकार समिति तथा राज्य हज समिति के सदस्य रहे । आप यू.आई.टी., जयपुर; राजस्थान स्टेट कापरेटिव बैंक, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के चेयरमैन रहे। आप मुस्लिम हाई स्कूल एवं वक्फ कमेटी तथा मदरसा तालीमुल इस्लाम, जयपुर के चेयरमैन भी रहे। आप वर्ष 1980 से 1985 तक राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के सदस्य रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री तकीउद्दीन अहमद जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप वर्ष 1980 से 1990 तक कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन भी रहे।

श्री तकीउद्दीन अहमद का दिनांक 24 जुलाई, 2011 को निधन हो गया।

रामदेव सिंह, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री श्री रामदेव सिंह का जन्म 4 जनवरी, 1933 को सीकर जिले के कूदन ग्राम में हुआ। आपने बी.काम एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामदेव सिंह दूसरी से चौथी तथा छठी से नौवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप दूसरी एवं तीसरी विधान सभा में सिंगरावट, चौथी विधान सभा में सीकर तथा छठी से नौवीं विधान सभा के लिए धोद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा नौवीं विधान सभा के कार्यकाल में गठित ऊर्जा, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन, श्रम एवं नियोजन विभागों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री रामदेव सिंह अप्रैल, 1966 से मार्च, 1967 तक राजस्थान सरकार में करारोपण, पंचायत, वित्त एवं सहकारिता विभाग तथा सितम्बर, 1967 से जुलाई, 1971 तक सामुदायिक विकास, खाद्य, देवस्थान एवं

(श्री अध्यक्ष)

निर्वाचन विभाग के उप मंत्री रहे। आप मार्च, 1985 से जनवरी, 1988 के दौरान आयुर्वेद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जेल, पशुपालन एवं कृषि सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। आप दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, मरू विकास और विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहे।

श्री रामदेव सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में सीकर के जिला प्रमुख रहे। आप राजस्थान स्टेट कापरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लिमिटेड, जयपुर एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर के अध्यक्ष रहे तथा अखिल भारतीय भूमि विकास बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे।

कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री रामदेव सिंह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं सचिव; जिला कांग्रेस कमेटी, सीकर के अध्यक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) कमेटी के सदस्य रहे।

श्री रामदेव सिंह का दिनांक 3 अप्रैल, 2011 को निधन हो गया।

डूंगरराम पंवार, श्री, पूर्व उप मंत्री

पूर्व उप मंत्री श्री डूंगरराम पंवार का जन्म 1 फरवरी, 1932 को हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री डूंगरराम पंवार छठी, आठवीं एवं नौवीं राजस्थान विधान सभा के लिए टीबी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप छठी विधान सभा में जनता पार्टी, आठवीं विधान सभा में लोक दल तथा नौवीं विधान सभा में जनता दल के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी समिति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। श्री पंवार नौवीं विधान सभा के दौरान नवम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना तथा सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग के उप मंत्री रहे।

समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री पंवार 13 वर्षों तक ग्राम पंचायत, रावतसर के पंच रहे। आप वर्ष 1995 में हनुमानगढ़ के जिला प्रमुख भी रहे।

श्री डूंगरराम पंवार का दिनांक 23 जून, 2011 को निधन हो गया।

कालूलाल खटीक, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री कालूलाल खटीक का जन्म 6 जुलाई, 1960 को

(श्री अध्यक्ष)

चित्तौड़गढ़ जिले के साड़ास ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. (राजनीति शास्त्र) तथा बी.एड. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री कालूलाल खटीक ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में गंगरार निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे।

समाज सुधार एवं गरीबों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री खटीक अनेक समाज सेवी संगठनों के विभिन्न पदों पर रहे। श्री खटीक बी.एड. कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। आपने महाविद्यालय स्तर तक छात्र संघ का प्रतिनिधित्व किया।

श्री कालूलाल खटीक का एक सड़क दुर्घटना में दिनांक 17 मई, 2011 को निधन हो गया।

सुखलाल सैणचा, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री सुखलाल सैणचा का जन्म 3 मार्च, 1938 को पाली जिले के पीपलिया कलां ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री सुखलाल सैणचा पांचवीं, छठी, सातवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप पांचवीं विधान सभा में जैतारण तथा छठी, सातवीं और दसवीं विधान सभा में रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, गृह समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।

सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1974 से 1975 तक जिला भूमि विकास बैंक, पाली तथा सेंट्रल का-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाली के अध्यक्ष रहे।

श्री सुखलाल सैणचा का दिनांक 4 जुलाई, 2011 को निधन हो गया।

सुनील कुमार विश्नोई, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री सुनील कुमार विश्नोई का जन्म 18 मार्च, 1952 को हरियाणा के आदमपुर में हुआ। आपने जोधपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री सुनील कुमार विश्नोई सातवीं और नौवीं राजस्थान विधान सभा के

(श्री अध्यक्ष)

लिए सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति, गृह समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति तथा सहकारिता एवं समाज कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्रीगंगानगर जिला विकास अभिकरण के सदस्य रहे श्री विश्नोई राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य भी रहे। आप दलितों, मजदूरों एवं कृषकों के उत्थान एवं समाज सुधार के कार्यों से जुड़े रहे। आप विश्नोई सभा, जयपुर के अध्यक्ष भी रहे।

श्री सुनील कुमार विश्नोई का दिनांक 13 अगस्त, 2011 को निधन हो गया।

डूंगाराम राजोरिया, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व सदस्य श्री डूंगाराम राजोरिया का जन्म 20 अप्रैल, 1929 को जयपुर में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री डूंगाराम राजोरिया तीसरी एवं चौथी राजस्थान विधान सभा में स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। आप तीसरी राजस्थान विधान सभा में जमवारामगढ़ तथा चौथी विधान सभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। समाज सुधार में रुचि रखने वाले श्री राजोरिया के आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आपने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को समाप्त करने तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये।

श्री डूंगाराम राजोरिया का दिनांक 18 मई, 2011 को निधन हो गया।

उमा माथुर, श्रीमती, पूर्व विधायक

पूर्व सदस्य श्रीमती उमा माथुर का जन्म 1 नवम्बर, 1929 को अलवर जिले के तिजारा में हुआ। आपने महाराजा कालेज से एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती उमा माथुर तीसरी राजस्थान विधान सभा में रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक रहीं। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं।

श्रीमती उमा माथुर ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग

(श्री अध्यक्ष)

लिया। सार्वजनिक जीवन में आप समाज कल्याण संघ, अलवर तथा सरस्वती महिला सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र की अध्यक्ष रहीं। एडवोकेट श्रीमती माथुर का-आपरेटिव उपभोक्ता होलसेल भण्डार की अध्यक्ष तथा सहकारी बैंक की कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं।

श्रीमती उमा माथुर का दिनांक 31 मार्च, 2011 को निधन हो गया।

भवानी सिंह, श्री, महावीर चक्र विजेता

महावीर चक्र से सम्मानित श्री भवानी सिंह का जन्म 22 अक्टूबर, 1931 को जयपुर के राज परिवार में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा दून स्कूल, देहरादून तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई।

श्री भवानी सिंह वर्ष 1951 में भारतीय सेना की तीसरी कैवेलरी रेजीमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पदस्थापित हुए। वर्ष 1954 में आपका चयन राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में हुआ। आप इस पद पर वर्ष 1963 तक रहे। आपने पैरा बिग्रेड हैडक्वार्टर तथा नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी अपनी सेवाएं दीं। श्री भवानी सिंह ने वर्ष 1967 में पैरा कमाण्डो यूनिट में 'सेकंड इन कमांड' बने। आपने भारतीय सेना में महत्वपूर्ण पदों पर निष्ठापूर्वक सेवाएं दीं। वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में आपकी कुशल रणनीति और युद्ध कौशल, अद्‌भुत शौर्य एवं पराक्रम के लिए आपको भारतीय सेवा का दूसरा सर्वोच्च सम्मान 'महावीर चक्र' प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्रीलंका में दिये गये आपके योगदान के कारण आपको राष्ट्रपति द्वारा ब्रिगेडियर की रैंक प्रदान की गई। श्री भवानी सिंह वर्ष 1994 से 1997 तक ब्रुनई में भारत के उच्चायुक्त भी रहे।

सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री भवानी सिंह ने खेल जगत में पोलो को अन्तरराष्ट्रीय स्थान दिलाने तथा संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री भवानी सिंह का दिनांक 16 अप्रैल, 2011 को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

मुम्बई में 13 जुलाई, 2011 को आतंकी हमले में मृत व्यक्ति

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित ही है, दिनांक 13 जुलाई, 2011 को मुम्बई के भीड़ भरे इलाक़ों में दस मिनट की अवधि में आतंकी हमले के रूप में तीन बम विस्फोट किये गये। इस कायरतापूर्ण कृत्य से 25 लोग मारे गये तथा सौ से अधिक लोग घायल हो गए। यह आतंकवादी हिंसा कठोर शब्दों में निंदनीय है।

कांशीनगर (उत्तर प्रदेश) में 7 जुलाई, 2011 को रेल-बस दुर्घटना में मृत व्यक्ति

दिनांक 7 जुलाई, 2011 को उत्तर प्रदेश के कांशीराम नगर जिले में पटियाली स्टेशन पर मथुरा-छपरा एक्सप्रेस तथा एक बस में भिडंत हो गई। इस दु:खद दुर्घटना में बच्चों सहित 38 लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गये।

फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में 10 जुलाई, 2011 को रेल दुर्घटना में मृत व्यक्ति

दिनांक 10 जुलाई, 2011 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मालवा के निकट कालका एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के कारण हुई हृदय विदारक दुर्घटना में 80 लोग मारे गये तथा 200 से अधिक घायल हो गये।

मैं इन हादसों में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हू।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.38 बजे शुक्रवार, दिनांक 26.08.2011 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)